फर्द अहकाम

(नियम 26)

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी मुकाम चित्तौड़गढ़ (राज.)

उरजनसिंह बनाम रतनलाल

किस्म मुकदमा प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 128 एल.आर.एक्ट. नम्बर 21 7/2023

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज
26/06/23	प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 रालेरेए के तहत प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत, दर्ज रजिस्टर हो। प्रार्थी श्री / ~~श्रीमती~~ उरजनसिंह - भंवरसिंह पिता श्री जसवन्तसिंह राव निवासी– पिपलखेडी तहसील व जिला चित्तौडगढ़ ने ग्राम दुवावा (प.स. सोनगर) स्थित खातेदारी की आराजी नम्बर 283/1.86 284/0.16 285/0.42 कुल कीता 3 कुल रकबा 2.4400 है0 की पत्थरगढी कराये जाने हेतु निवेदन किया। उक्त आराजी प्रार्थी के खातेदारी की आराजी में दर्ज रेकार्ड है। अतः प्रार्थी की ग्राम दुवावा (पंचायत सोनगर तह. बस्सी) स्थित खातेदारी की भूमि आराजी नम्बर 283/1.86, 284/0.16 285/0.42 कुल कीता 3 रकबा 2.4400 है0 की बिना किसी कब्जे में दखलन्दाजी किये, सेंटलमेन्ट नक्शे अनुसार पत्थरगढी करने के आदेश दिये जाते है। पत्थरगढी का खर्चा प्रार्थी वहन करेगा। शुल्क 1500=00 रूपये अक्षरे एक हजार पान्च सौ मात्र प्रार्थी से वसुल हो, पालना प्राप्त हो। पत्रावली निर्णित हो। प्रत्रावली पालना प्राप्ति पर पेश हो। (रामचन्द्र खटीक) सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी चित्तौड़गढ

Scanned with AnyScanner